मध्यप्रदेश शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय, भोपाल

क्रमांक/एफ–1–6/2013/20–1 भोपाल, दिनांक 10/9/2013

प्रति,

1. समस्त कलेक्टर,
2. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत,
3. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण,
4. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी,
5. समस्त सहायक आयुक्त आदिवासी विकास,
6. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत,
   मध्यप्रदेश।

विषय :– संविदा शाला शिक्षकों के नियोजन के संबंध में।

संदर्भ :– विभाग का परिपत्र क्रमांक एफ 1–6/2013/20–1 भोपाल दिनांक 8.7.2013

विषयान्तर्गत विभाग के संदर्भित आदेश दिनांक 8.7.2013 को अधिक्रमित करते हुये निम्नलिखित अनुसार आदेश जारी किया जाता है :–

जिला पंचायत अंतर्गत चयनित संविदा शाला शिक्षक श्रेणी–1 एवं श्रेणी–2 एवं जनपद पंचायत अंतर्गत चयनित संविदा शाला शिक्षक श्रेणी–3 के नियोक्तावार चयन/योग्यता (मेरिट) सूची एम.पी.ऑनलाईन के पोर्टल पर क्रमशः 30.4.2013 एवं 15.4.2013 को जारी की जा चुकी है। संदर्भित पत्र के अनुक्रम में संविदा शाला शिक्षक श्रेणी–1 एवं श्रेणी–2 के चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्तकर्ता अधिकारी (जिला पंचायत) स्तर पर दिनांक 20.5.2013 से 24.05.2013 तक मूल प्रमाण पत्रों की जांच एवं दिनांक 25.05.2013 से 26.05.2013 तक पदभार ग्रहण करने की अभिस्वीकृति देने एवं नियम–2005 में निर्धारित संविदा प्रारूप पूर्ण कर नियुक्तकर्ता अधिकारी को प्रस्तुत किया जाना निर्धारित किया गया था। इसी प्रकार संविदा शाला शिक्षक श्रेणी–3 के चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्तकर्ता अधिकारी (जनपद पंचायत) स्तर पर दिनांक 25.5.2013 से 28.05.2013 तक मूल प्रमाण पत्रों की जांच एवं दिनांक 29.05.2013 से 30.05.2013 तक पदभार ग्रहण करने की अभिस्वीकृति देने एवं नियम–2005 में निर्धारित संविदा प्रारूप पूर्ण कर नियुक्तकर्ता अधिकारी को प्रस्तुत किया जाना निर्धारित किया गया था। उक्त प्रक्रिया से वंचित आवेदकों के संबंध में निम्नानुसार कार्यवाही की जाए :–

1/ निकाय में चयन उपरांत निर्धारित अवधि में प्रमाण पत्रों का सत्यापन एवं अभिस्वीकृति प्रस्तुत न करने वाले अभ्यर्थियों के संबंध में कार्यवाही :–

संविदा शाला शिक्षक श्रेणी–1, 2 एवं 3 के चयनित कतिपय अभ्यर्थियों द्वारा निर्धारित तिथियों में विभिन्न कारणों से नियुक्तकर्ता अधिकारी स्तर पर अपने मूल प्रमाण पत्रों का सत्यापन नही करा पाये थे तथा पदभार ग्रहण की अभिस्वीकृति एवं नियम–2005 में निर्धारित संविदा प्रारूप को नियुक्तकर्ता अधिकारी को प्रस्तुत नही कर पाये थे, ऐसे सभी चयनित अभ्यर्थियों को नीचे

दर्शायी गई समय-सारणी अनुसार अपने मूल प्रमाण पत्रों के सत्यापन एवं सत्यापन उपरांत पदभार ग्रहण की अभिस्वीकृति देने का निर्णय लिया गया है।

2/ निकाय में चयनित लेकिन स्वंय/पिता/माता के नाम में त्रुटि होने से सत्यापन/अभिस्वीकृति से वंचित आवेदकों के संबंध में कार्यवाही :-

संविदा शाला शिक्षक श्रेणी-1, 2 एवं 3 के चयनित ऐसे अभ्यर्थी जिनके व्यापम की पात्रता परीक्षा की अंकसूची एवं एम.पी.ऑनलाईन के डाटा में अभ्यर्थी के स्वंय के नाम, पिता के नाम, माता के नाम में अंग्रेजी स्पेलिंग के कारण अथवा अन्य कारणों से कुछ भिन्नता एम.पी.ऑनलाईन के कियोस्क में प्रविष्टि के कारण हुई है। इन कारणों से नियुक्तकर्ता अधिकारी द्वारा ऐसे चयनित अभ्यर्थियों का सत्यापन नही किया गया है अथवा पदभार ग्रहण की अभीस्वीकृति की अनुमति नही दी गई। ऐसे सभी चयनित अभ्यर्थियों को नीचे दर्शायी गई समय-सारणी अनुसार अपने मूल प्रमाण पत्रों के सत्यापन एवं सत्यापन उपरांत पदभार ग्रहण की अभिस्वीकृति देने का निर्णय लिया गया है। इस हेतु नियुक्तकर्ता अधिकारी संबंधित अभ्यर्थी के मूल अभिलेखों यथा व्यापम का डाटाफॉर्म जिसमें अभ्यर्थी की फोटो, हस्ताक्षर एवं अन्य जानकारियां उल्लेखित है का मिलान कर लिया जाए एवं संबंधित अभ्यर्थी से इस संबंध में शपथ पत्र भी प्राप्त कर उक्त त्रुटियों का परीक्षण कर वास्तवित अभ्यर्थी होने की स्थिति में सत्यापन की कार्यवाही की जाए।

निर्धारित अवधि में चयनित अभ्यर्थियों द्वारा पदभार ग्रहण न करने एवं स्वंय/पिता/माता के नाम में भिन्नता के कारण पदभार ग्रहण न करने वाले अभ्यर्थियों की चयन के प्रक्रिया की समय सारणी निम्नानुसार होगी :-

क्र.	गतिविधि	समयावधि या तिथि	कार्यवाही हेतु सक्षम स्तर
1	नियुक्तिकर्ता अधिकारी (जिला पंचायत) स्तर पर संविदा शाला शिक्षक श्रेणी-1 एवं श्रेणी-2 के चयनित अभ्यर्थियों के समस्त मूल प्रमाण पत्रों की जांच एवं चयनित अभ्यर्थियों द्वारा पदभार ग्रहण की अभिस्वीकृति देना एवं नियम 2005 में निर्धारित संविदा प्ररूप (Form of Contract) को पूर्ण कर नियुक्तकर्ता अधिकारी को प्रस्तुत करना।	15.07.13 से 19.07.13 तक	मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी के समन्वय से
2	नियुक्तिकर्ता अधिकारी (जनपद पंचायत) स्तर पर संविदा शाला शिक्षक श्रेणी-3 के चयनित अभ्यर्थियों के समस्त मूल प्रमाण पत्रों की जांच एवं चयनित अभ्यर्थियों द्वारा पदभार ग्रहण की अभिस्वीकृति देना एवं नियम 2005 में निर्धारित संविदा प्ररूप (Form of Contract) को पूर्ण कर नियुक्तकर्ता अधिकारी को प्रस्तुत करना।	15.07.13 से 19.07.13 तक	मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी के नामित अधिकारी के समन्वय से

3.	निर्धारित अवधि में पदभार ग्रहण की अभिस्वीकृति न देने वाले अभ्यर्थियों की जानकारी एम.पी.ऑनलाईन के पोर्टल पर दर्ज करना	22.07.13 से 24.07.13 तक	जिला शिक्षा अधिकारी
4.	जिला/जनपद पंचायत अंतर्गत चयनित आवेदक **संविदा शाला शिक्षक श्रेणी–1, 2 एवं 3** द्वारा एम.पी. ऑनलाईन के कियोस्क सेन्टर से अथवा इन्टरनेट के माध्यम से स्वंय के द्वारा संस्था के चयन के विकल्प को प्राथमिकता क्रम में ऑनलाईन चयन करने की प्रक्रिया	29.07.13 से 31.07.13 तक	केवल निकाय अंतर्गत चयनित एवं नियुक्तिकर्ता अधिकारी को अभिस्वीकृति जमा करने वाले आवेदक द्वारा
5	संविदा शाला शिक्षक की निकायवार/श्रेणीवार/विषयवार/ संस्थावार पदांकन सूची जारी करना।	06.08.2013	एम.पी.ऑनलाईन द्वारा

3/ डब्ल्यू.पी.क्रमांक 1525/2013 एवं समप्रकृति के अन्य याचिकाओं में पारित निर्णय के अनुपालन मे कार्यवाही :–

ऐसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा सत्यापन के समय प्रशिक्षण योग्यता की इंटरनेट की अंकसूची प्रस्तुत की थी एवं माननीय न्यायालय द्वारा डब्ल्यू.पी.क्रमांक 1525/2013 एवं समप्रकृति के अन्य याचिकाओं में पारित निर्णय के अनुपालन में ऐसे अभ्यर्थियों को सत्यापन प्रक्रिया में सम्मिलित करने के निर्देश दिए गये है। इस आधार पर उनका सत्यापन किया गया था साथ ही उनका नाम एम.पी.ऑनलाईन के पोर्टल पर न्यायालयीन प्रकरणों के सूची में शामिल है उनकी जानकारी तथा न्यायालय निर्णय की छायाप्रति सहित नीचे दिए प्रारूप में दिनांक 29.07.2013 तक श्री अरूण इंगले, सहायक संचालक लोक शिक्षण को विशेष वाहक के हस्ते उपलब्ध करायी जावें। यह भी सुनिश्चित किया जाए कि माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में याचिकाकर्ता का नाम सम्मिलित है तथा उनके पक्ष में अंतिम निर्णय दे दिया गया है।

//प्रारूप//

संविदा शाला शिक्षक श्रेणी–.................... विषय............. जिला/जनपद पंचायत.......................

स. क्र.	अभ्यर्थी का नाम/ पिता का नाम	पात्रता परीक्षा का अनुक्रमांक	याचिका क्रमांक वर्ष	याचिकाकर्ता का याचिका में अंकित सरल क्रमांक	अंतिम निर्णय का दिनांक	माननीय न्यायालय का नाम
1	2	3	4	5	6	7

4/ त्रुटिसुधार सूची में सम्मिलित आवेदकों के संबंध में कार्यवाही :–

एम.पी.ऑनलाईन के पोर्टल पर चयन सूची के साथ ही त्रुटिसुधार की सूची भी जारी की गई थी। इस सूची में ऐसे आवेदकों के नाम सम्मिलित है जो निर्धारित शैक्षणिक योग्यता निर्धारित प्रतिशत के साथ उत्तीर्ण नही है अथवा नियमों में दिए गये प्रावधान अनुसार निर्धारित शिक्षण प्रशिक्षण योग्यता नही रखते है अथवा एन.सी.टी.ई. से मान्यता प्राप्त नही है, अथवा जिनके द्वारा सत्यापन में मूल अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये है अथवा निर्धारित आयु–सीमा के अंतर्गत नही आते है अथवा जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा अन्य कारणों से अमान्य किये गये आवेदन। ऐसे त्रुटिसुधार अंतर्गत उल्लेखित आवेदकों के समस्त मूल प्रमाण पत्रों की जांच जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 03.07.2013 से 10.07.2013 के मध्य किये जाने के निर्देश थे इस तिथि में वृद्धि करते हुये उक्त कार्य दिनांक 25.07.2013 तक पूर्ण कर लिया जाए तथा पात्रता के संबंध में नियमों में दिए गये प्रावधान एवं शासन द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों के अनुक्रम में परीक्षण कर केवल ऐसे आवेदक जो पात्रता की श्रेणी में आते है उनके संबंध में निर्णय लेकर जानकारी निम्न प्रारूप में दिनांक 29.07.2013 तक संचालनालय को विशेष वाहक के हस्ते उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।

//प्रारूप//

त्रुटिसुधार अंतर्गत पात्र पाये गये आवेदकों की सूची

संविदा शाला शिक्षक श्रेणी–.................... विषय............. जिला/जनपद पंचायत........................

स. क्र.	अभ्यर्थी का नाम/ पिता का नाम	पात्रता परीक्षा का अनु क्रमांक	वह कारण जिससे आवेदक को पात्र किया गया है। जिसका विस्तृत विवरण	रिमार्क संलग्न किये गये सत्यापित प्रमाण पत्रों का विवरण जो सूची के साथ संलग्न किये गये है
1	2	3	4	5

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

10/7/13

(आर.के.चौकसे)
उप सचिव
म.प्र शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

पृष्ठां क्रमांक / /एफ -1-6/2013/20-1 भोपाल, दिनांक 10/7/2013

प्रतिलिपिः—

1. निज सहायक, मान.मंत्रीजी / राज्य मंत्रीजी म.प्र.शासन स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
3. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
4. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, आदिम जाति कल्याण विभाग, मंत्रालय भोपाल।
5. आयुक्त, लोक शिक्षण,संचालनालय म.प्र. भोपाल।
6. आयुक्त, राज्य शिक्षा केन्द्र, अरेरा हिल्स, भोपाल।
7. आयुक्त, जनसंपर्क विभाग, भोपाल।
8. सी.ओ.ओ., एम.पी.ऑन लाईन, निरूपम बिल्डिंग, होशंगाबाद रोड भोपाल।

10/7/13

उप सचिव
म.प्र शासन
स्कूल शिक्षा विभाग